शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 नवम्बर 2013

विवाह विच्छेद की बढ़ती प्रवृत्ति: समस्या और शैक्षिक समाधान

डा ॅ.बलवीरसिंह जमवाल
प्राचार्य
बी.के.एम.का ॅलेज आ ॅफ एजुकेषन
बलाचैर, शहीदसिंह नगर, पंजाब, भारत

शोध संक्षेप

भारतीय संस्कृति के चार प्रमुख आधार स्तंभ हैं - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है। इस विचार में भौतिकता और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय स्थापित है। दो भौतिकताएं बीच में है और दो आध्यात्मिकता प्रारंभ और अंत में। आज समाज में अर्थ और काम का प्रभुत्व दिखाई देता है। इन्हीं दोनों के आसपास संसार चक्र घूम रहा है। शास्त्रों ने धर्मानुसार अर्थ का संचय करते हुए उचित समय पर कामोपभोग करना और अंत में मोक्ष की इच्छा रखने को श्रेष्ठ जीवन बताया है। परंतु धर्मविमुख होने के परिणामस्वरूप अर्थोपार्जन में अषुद्ध मार्ग अपनाया जा रहा है और कामोपभोग के लिए विवाह जैसी संस्था पर आज प्रश्नचिह्न लग गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में विवाह विच्छेड की बढ़ती प्रवृत्ति और उसकी समस्या पर विचार करते हुए समाधान दिया गया है।

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में विवाह को सोलह संस्कारों में स्थान दिया गया है। बालक जब गुरु गृह से युवा होकर घर लौटता था, तब उसकी सहमति से उसका विवाह संस्कार संपन्न कराया जाता था। अग्नि को साक्षी मानकर युवा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। शास्त्रों और पुराणों में विवाह को जन्मा-जन्मांतर का संबंध निरूपित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में ही विवाह विच्छेद की शास्त्रोक्त अनुमति दी गई। बाइबिल में प्रभु यीशु ने लिखा है कि "पुरुष के लिए अच्छा है कि वह स्त्री का स्पर्श न करे। परंतु अनैतिकता न हो, इसलिए हरएक पुरुष की अपनी पत्नी हो और हरएक स्त्री का अपना पति हो। परंतु मैं यह जो कहता हूं, वह अनुमति है, न कि आज्ञा।"

मनुष्य के जीवन को नैतिकता प्रदान करने के लिए विवाह संस्था का गठन किया गया। इस संस्कार ने मनुष्य की एंद्रिय लोलुपता पर अंकुश लगाने के साथ-साथ उसके जीवन को मर्यादित भी किया। संयमित जीवन ने मनुष्य की आवश्यकताओं को कम करने में सहायता दी। व्यक्तिगत जीवन में संयम की साधना से समाज पर उसका अनुकूल प्रभाव हुआ और समाज में शांति कायम करने में मदद मिली। श्रम प्रधान संस्कृति के बने रहने तक यह समावयवता बनी रही। समाज ने जैसे ही बाजार की भोगवादी संस्कृति में प्रवेष किया, मनुष्य की आवष्यकताएं

बढ़ती चली गई। अर्थप्रधान समाज ने उन सारी हदों को पार कर दिया, जो मनुष्य समाज के निषिद्ध ठहराई गई थीं। आज की संस्कृति ने मनुष्य को अजीब प्रकार के तनाव से भर दिया है, जिसका असर उसके पारिवारिक जीवन पर परिलक्षित हो रहा है। इसीके परिणामस्वरूप समाज में विवाह विच्छेद अथवा तलाक के प्रकरण बढ़ते चले जा रहे हैं।

शिक्षा का सही आशय है जाग्रति और समायोजन। इसमें सबसे बड़ी बाधा बढ़ता हुआ अहम् है। उच्च शिक्षा प्राप्त परिवारों में अहम् के टकराव ने उनका पारिवारिक जीवन नष्ट कर दिया है। वे सभी समस्याओं का समाधान पति-पत्नी में अलगाव में ढूंढ रहे हैं। विवाह विच्छेद अथवा तलाक एक सामाजिक बुराई के रूप में अपनी जड़ें जमा चुका है। इस कारण अनेक परिवार बर्बाद हो चुके हैं। शिक्षा में नैतिक मूल्यों को दाखिल करके इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है।

विवाह संस्था

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से शिक्षा ग्रहण कर उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। स्त्री और पुरुष इस समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं। जब दोनों एक साथ रहेंगे तभी समाज ठीक तरह से गतिमान रहेगा। स्त्री-पुरुष की प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाह संस्था का सृजन किया गया। इसे समाज ने पवित्र बंधन का नाम दिया। यह दोनों की यौन तृष्णा को संतुष्ट करने के लिए अति आवश्यक है। शास्त्रों में किसी भी संस्कार को तब तक अधूरा माना जाता है, जब तक उसमें स्त्री की भागीदारी नहीं होती। समाजशास्त्री मजूमदार और मदान ने लिखा है, "विवाह सामाजिक वर्ग में, मुख्य तौर पर नैतिक और धार्मिक संस्कार के अनुसार दो विपरीत लिंग वालों के लिए यौनिक संबंध बनाने के लिए अनुमति प्रदान करता है और सामाजिक-आर्थिक संबंधों को एक-दूसरे के प्रति सहायक बनाता है।

बोगार्डस विवाह को परिभाषित करते हुए कहते हैं, "पुरुष और स्त्री को एक संस्था के रूप में पारिवारिक जीवन के लिए स्वीकार किया गया है।" इनके कहने का आशय यह है कि विवाह एक संस्था है, जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री पारिवारिक जीवन के लिए आज्ञा प्राप्त करते हैं।

रेडक्लिफ और ब्राउन के अनुसार, "विवाह एक प्रबंध है, जिसके द्वारा बच्चे को समाज में एक कानूनी दर्जा दिया जाता है। जिसका निर्धारण माता-पिता सामाजिक उद्देश्य या अभिप्राय से करते हैं।"

वेस्टरमेजिक के अनुसार, "विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक स्त्री या अधिक स्त्री के प्रति संबंधों, जिसे कानूनी या रीति-रिवाज की मान्यता प्राप्त है और जिस प्रकार यूनियन में पार्टियां शामिल होती हैं, उसी प्रकार बच्चोंं का जन्म, स्त्री और पुरुष दोनों के यौन संबंध स्थापित करने से होता है।

मालीनोवस्की का मानना है, "विवाह एक बच्चे को पैदा करने और उनकी देखभाल करने का एक ठेका है।"

लुण्डबर्ग का मानना है, "विवाह उन सभी नियमों व कानूनों को शामिल करता है जो पति व पत्नी

के अधिकारों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों के प्रति हैं।"

हार्टन और हण्ट ने विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है, "विवाह एक सामाजिक अनुमोदित पैटर्न है। जिसके आधार पर दो या दो से अधिक व्यक्ति एक परिवार की स्थापना करते हैं।"

विवाह विच्छेद अथवा तलाक

विवाह विच्छेद अथवा तलाक वर्तमान की बात नहीं है। अतीत में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जब पति-पत्नी में विवाह विच्छेद हुआ हो। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति आज से कहीं बेहतर थी। वे निर्णय लेने में स्वतंत्र थीं। उन्हें पुरुषों के समान ही सारे अधिकार प्राप्त थे। उस युग में स्वयंवर परंपरा चलन में थी। वह अपने जीवन साथी का चयन स्वतंत्र रूप से कर सकती थी। मनु ने खुद मनुस्मृति में माना है कि स्त्री का कोई दोष नहीं माना जाता यदि वह अपने पति को नपुंसक, पागल और किसी भयानक बीमारी से ग्रस्त, जिसका उपचार न हो सकता हो, परिस्थितियों में तलाक दे देती हो। मध्यकाल में स्त्रियों पर अनेक प्रकार के बंधन लगाये गये। उसे निरक्षर रखा गया और सतीप्रथा, बालविवाह जैसी कुप्रथा चलन में आई। आधुनिककाल में पुनर्जागरण आंदोलन के फलस्वरूप स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए अनेक समाज सुधारकों ने आंदोलन चलाए। उनमें राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशवचंद्र सेन, महादेव गोविंद रानड़े, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, बहन निवेदिता, सरोजिनी नायडू, स्वामी विवेकानंद, पण्डिता रमाबाई, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी मुख्य हैं। इन समाज सुधारकों के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने 1872 में सिविल विवाह कानून बनाया। सन् 1920 में पहली बार कोल्हापुर राज्य में कानूनी तौर पर तलाक का नियम लागू किया गया। यही एक्ट बड़ौदा राज्य में 1942 में पारित हुआ। बंबई सरकार ने इसे 1947 में मंजूरी दी। धीरे-धीरे यह सभी राज्यों में लागू हो गया।

महात्मा गांधी ने एक स्थान पर लिखा है कि राम और सीता आदर्श पति-पत्नी थे। सीता, राम की दासी कभी नहीं थी, न ही राम सीमा के दास थे। गांधी ने यह भी स्पष्ट किया है कि विवाह एक अनुशासित सत्य की तरह है। जिंदगी एक कर्तव्य और अभ्यास काल की तरह है। वैवाहिक जीवन दोनों का साझा प्रयास है। इसका मतलब है मानवता की सेवा। जब एक जीवन साथी अनुशासन का भंग करता है तो दूसरे को भी अधिकार है कि वह बंधन को न माने। वे कहते हैं कि यदि पति व पत्नी अलग होते भी हैं तो वे वही कार्य करें जिसके लिए वे इकट्ठे हुए थे। मानवतावाद स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देता है।

विवाह विच्छेद को निम्नलिखित रूपों से आसानी से समझा जा सकता है:

1 सेपरेशन : जब पत्नी और पति के बीच मनमुटाव हो जाता है और एक-दूसर के साथ रहने मे कठिनाई महसूस करते हैं तो वे अलग-अलग रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर तलाक नहीं देते। इस अवस्था में पति व पत्नी दोनों ही विवाह बंधन से मुक्ति के बिना अलग-अलग रहते हैं।

2 डिजर्शन : इसमें पति या पत्नी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है और परिवार को छोड़कर अपने आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है।

3 एनुलमेंट: इसमें पति व पत्नी कानूनी तौर पर जज के निर्णय के अनुसार अलग हो जाते हैं। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निर्णय लेता है।

वैवाहिक जीवन में तनाव और तलाक के मुख्य कारण:

वैवाहिक जीवन में तनाव के अनेक दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। तलाक के कई कारण हो सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर निम्नलिखित कारण अनुभव किए गए हैं:

1 पति-पत्नी का बांझपन

2 एक-दूसरे के प्रति प्यार कम होना

3 पति का शराबी या जुआरी होना

4 पति-पत्नी के बीच आयु का अंतर होना

5 पति-पत्नी में अहम् भाव होना

6 पति-पत्नी दोनों का स्वभाव गर्म होना

7 पत्नी का अपने मायके के प्रति रुझान ज्यादा तथा ससुराल वालों के प्रति उपेक्षा भाव होना

8 पति-पत्नी दोनों में समायोजन की भावना का अभाव होना

9 पति अथवा पत्नी का गलत व्यक्तियों से संपर्क होना

10 पत्नी का आर्थिक दर्जा उच्च होना

11 पत्नी की भौतिक व मानसिक जरूरतों का पूरा न होना

12 पत्नी व पति द्वारा योग्यता से अधिक इच्छाएं रखना

13 पति-पत्नी द्वारा दूरसंचार के साधनो का अत्यधिक उपयोग करना

14 पति-पत्नी बीच छोटी-छोटी बातों पर निरंतर झगड़ा होना

15 संयुक्त परिवार के साथ समायोजन न कर पाना

16 पति अथवा पत्नी द्वारा दुर्व्यवहार करना

17 पति अथवा पत्नी का दिमागी तौर पर कमजोर होना

18 पत्नी का भावुक स्वभाव

19 पति अथवा पत्नी द्वारा विवाहोपरांत अपने गलत साथियों अथवा सहेलियों के साथ संपर्क रखना

20 पत्नी के मायके अथवा पति के घर में पर्यावरणीय अंतर होना

21 दोनों के द्वारा एक-दूसरे की इच्छाओं के विपरीत कार्य करना

22 पत्नी द्वारा दोस्तों के साथ घूमने-फिरने की आदत को न छोड़ पाना

23 पत्नी या पति द्वारा रखे जाने वाले अवैध संबंधों का एक-दूसरे को पता चलना

24 पति-पत्नी द्वारा एक-दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को पूरा न करना

25 दंपति में से किसी एक को घातक बीमारी होना

26 ससुराल वालों द्वारा स्त्री पर अत्याचार करना

27 पति के अपने माता-पिता के कहने में रहना और पत्नी का मायके के कहने पर चलना

28 पत्नी में दिखावे की प्रवृत्ति का पनपना

29 स्त्री द्वारा लज्जा को त्यागना

30 पति या पत्नी का घर से दूर रहना

31 सास द्वारा बहू को बेटी का दर्जा न देना और बहू द्वारा सास का सम्मान न करना

भारतीय परिप्रेक्ष्य में विवाह विच्छेद के यह कारण अमूमन देखने में आ रहे हैं। इनके अलावा विवाह विच्छेद के और भी कई कारण हो सकते हैं। तलाक का सबसे खराब असर संतानों पर होता है। इसके बाद परिवार और समाज प्रभावित होता है। इस परिस्थिति को समुचित षिक्षा के माध्यम से बदला जा सकता है। एकल परिवार में बच्चे वैसे ही खुद को अकेला महसूस करते हैं। उसमें भी यदि परिवार का तलाक जैसी त्रासदी से गुजरना पड़ता है तो दोनों का जीवन नारकीय होने में देर नहीं लगती। इस गंभीर स्थिति से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है:

1 पति-पत्नी के बीच विचारों की गोपनीयता नहीं होना चाहिए

2 पति-पत्नी दोनों को मिलकर संबंधों को सहज बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए

3 अहम् के टकराव से सदैव दोनों को बचने की कोशिश करना चाहिए

4 पति-पत्नी दोनों को एक-दूसरे परिवारजनों के प्रति सम्मानभाव प्रदर्शित करना चाहिए

5 पति-पत्नी को एक-दूसरे की पसंद का सदैव ख्याल रखते हुए कार्य करना चाहिए

6 दूरसंचार साधनों का उपयोग एक-दूसरे की जानकारी में करना चाहिए

7 दोनों की एक-दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच होना चाहिए

8 कोई भी कार्य करने से पहले दोनों को एक-दूसरे को विष्वास में लेना चाहिए

9 घर से बाहर जाने पर दोनों को एक-दूसरे की स्थिति के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए

10 घर के निर्णय में पत्नी की बातों को भी महत्व दिया जाना चाहिए

11 संकट में दोनों को एक-दूसरे की सहायता के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए

12 पर्व-त्यौहार, जन्मदिन का स्मरण रखना चाहिए

13 किसी बात पर मनमुटाव होने पर आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। फिर भी बात न बनें तो अपने परिवार के बुजुर्गों से सलाह-मषविरा करना चाहिए न कि गलत व्यक्तियों से संपर्क साधें।

14 पत्नी को छोटी-से-छोटी बात मायके जाकर नहीं बताना चाहिए

15 यदि किसी कारण से दोनों में से किसी एक को क्रोध आ जाए तो शांत रहते हुए वह स्थान कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए

16 दोनों को एक-दूसरे के काम की सराहना करना चाहिए

17 घर के कार्यो में हाथ बंटाने से सहजता बनी रहती है

18 पति अथवा पत्नी को परिवारजनों के साथ सामान्य संबंध रखते हुए उनकी सलाह को शिरोधार्य नहीं करना चाहिए

निष्कर्ष:

अनेकानेक दबाव और तनावों के कारण भारतीय समाज में तलाक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। भोगवादी वृत्ति से मूल्यों का हनन हो रहा है। संयमपूर्ण षिक्षा को दाखिल करने से इस दृष्प्रवृतित पर कुछ हद तक अंकुष लग सकता है। संयुक्त परिवार इसमे एक कारगर उपाय साबित हो सकता है। इसकी नींव पे्रम पर आधारित होती है। परस्पर प्रेम होने से अनेकानेक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। सुरक्षितता के अहसास से भी मनुष्य का चित्त शांत होता है। परिवार परामर्श केंद्रों को सकारात्मक भूमिका निभाते हुए विवाह विच्छेद को अंतिम उपाय न मानते हुए इसकी उपेक्षा करने से इस प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा।

सन्दर्भ

1 गांधी, एम.के., वूमेन एंड सोशल इनजस्टिस

2 कपाड़िया के.एम., मैरिज एंड फैमिली इन इण्डिया

3 श्रीवास्तव टी.एन., वूमेन एंड द लाॅ

4 सक्सेना स्वरूप आन.एन., (2005) षिक्षा सिद्धांत

5 शर्मा के.पी. (2006), इण्डियन वूमेन